तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
25.07.2023	उभयपक्ष के अभिभाषक उपस्थित। प्रार्थी गिरधारी के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सीपीसी पर प्रार्थी के अभिभाषक ने बहस में कथन किया है कि प्रस्तुत प्रकरण में जो विवादित आराजी है उस आराजी के सबंध में प्रार्थी गिरधारी व दीपक यादव के पिता रामबाबू व उनके परिवारीजन के विरूद्व एक अपील उनवानी गिरधारी बनाम रामबाबू न्यायालय श्रीमान भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर के यहां लम्बित है जिसको उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थी दीपक यादव द्वारा भी स्वीकार किया गया है तथा उपरोक्त प्रकरण में न्यायालय श्रीमान भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर द्वारा विवादित आराजी की रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु स्थगन आदेश भी जारी किया हुआ है। उपरोक्त प्रकरण की कार्यवाही अपील के निस्तारण तक स्थगित रखी जावे। प्रार्थी गिरधारी के अभिभाषक द्वारा अपने कथनों के समर्थन में (1)DNG 2016(3)Page 1199 (Raj.), (2)RBJ2013 Page 77 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अप्रार्थी दीपक यादव के अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान जबाव प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो को दोहराते हुए कथन किया कि न्यायालय श्रीमान के यहां जो प्रकरण लम्बित है वह वाद या अपील नहीं है उपरोक्त प्रकरण केवल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के अन्तर्गत गिरधारी हो हुए गैरकानूनी आवंटन को निरस्त कराने के लिए पेश किया गया है जिस पर धारा 10 सीपीसी के प्रावधान लागू नहीं होते तथा वकील अप्रार्थी ने ये भी कथन किया कि जो अपील गिरधारी के द्वारा न्यायालय श्रीमान भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर के यहां पेश की हुई है वह अपील न्यायालय ए.सी.एम.साहब धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.03.1993 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। उक्त डिक्री में आवेदक दीपक यादव के बाबा स्व0 श्री बृजकिशोर को आराजी खसरा न0. 538 रकवा 01 बीघा 17 बिस्वा बाके ग्राम ताल ओडेंला तहसील व जिला धौलपुर का खातेदार घोषित किया गया था उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 27.03.1993 के विरूद्व गिरधारी द्वारा बिना किसी आधार के तथाकथित अपील 30 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई है जो कानूनन चलने योग्य नही है तथा उपरोक्त अपील का इस प्रकरण पर कोई प्रभाव नहीं है। प्रार्थी दीपक यादव द्वारा उपरोक्त प्रकरण गिरधारी को हुए तथाकथित आवंटन को निरस्त कराने हेतु पेश किया गया है। इस कार्यवाही को रोकने हेतु किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश जारी नहीं हुआ है तथा दोनों प्रकरण अपील व उपरोक्त प्रार्थना पत्र में विवाद बिन्दु पक्षकारन व न्यायालय भी अलग–अलग है इस कारण धारा 10 सीपीसी के प्रावधान लागू नहीं होते एवं उपरोक्त प्रकरण एक **Summary Procedding** है इस कारण भी उपरोक्त प्रकरण पर धारा 10 सीपीसी के प्रावधान लागू नहीं होते। अप्रार्थी दीपक यादव के अभिभाषक द्वारा अपने कथनों के समर्थन में **RRD 2013 Page 460, RRD 2009 Page 147, RRT 2010 (2) Page 1324 , DNJ 2014 (4) Page 1581** न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 10 सीपीसी खारिज फरमाया जावे। हमने उभयपक्षों की प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। उभयपक्षों द्वारा यह स्वीकृत तथ्य है कि

[illegible] अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर [illegible]
धौलपुर एवं इस न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण में जो विवादित आराजी है [illegible]
एक ही है तथा उपरोक्त आराजी के सम्बंध में न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी [illegible]
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर द्वारा रिकॉर्ड एवं मौके [illegible]
यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन आदेश भी जारी किया हुआ है जो कि आ[illegible]
की इकाई है। अप्रार्थी दीपक यादव स्वयं अपने जबाव में यह स्वीकार करता है
कि जो डिक्री की अपील न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील
प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर के यहां लम्बित है वह उसके बाबा बुजकिशोर
के हक में हुए खातेदारी के आदेश के विरुद्व है जिस कारण यह नहीं माना जा
सकता कि प्रकरण की स्थिति दोनों प्रकरणों में भिन्न है। यहां यह भी
उल्लेखनीय है कि यदि अपील के लम्बित रहते हुए इस न्यायालय द्वारा प्रार्थना
पत्र धारा 14(4) स्वीकार किया जाता है तो गिरधारी के अपील करने के हक ही
समाप्त हो जायेंगे। जब मूल वाद की निर्णय व डिक्री की अपील लम्बित हो तो
कानून में यह सर्वमान्य सिद्वांत है कि **Summary Procedding** के अन्तर्गत कोई
कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए। चूंकि अपीलीय न्यायालय द्वारा विवादित
आराजी के सम्बध मे स्थगन आदेश भी जारी है जिस कारण भी न्यायालय द्वारा
विवादित आराजी के रिकॉर्ड में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यहां यह
भी उल्लेखनीय तथ्य है कि अपील गिरधारी बनाम रामबाबू में यह भी तय किया
जाना है कि प्रार्थी दीपक यादव के बाबा बृजकिशोर के हक में जो निर्णय व
डिक्री दिनांक 27.03.1993 पारित हुई वह सही है या नहीं जिसे इस न्यायालय
द्वारा उपरोक्त डिक्री की वैधता पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। प्रकरण
मे विवादित आराजी के सम्बध में दो विभिन्न न्यायालयों द्वारा आदेश पारित किये
जाने की सभावना से हम प्रार्थी गिरधारी के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक
नजीर से पूर्णतया संतुष्ट है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना
पत्र अन्तर्गत धारा 10 सीपीसी स्वीकार करने योग्य पाया जाता है।

अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 10 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा उपरोक्त प्रकरण की कार्यवाही अपीलीय न्यायालय में लम्बित अपील गिरधारी बनाम रामबाबू के अन्तिम निस्तारण तक स्थगित रखी जाती है। अपील के निस्तारण पर प्रार्थी दीपक यादव पुनः उपरोक्त प्रकरण को सुनवाई हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकेगा। आदेश खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अनिल कुमार अग्रवाल)
जिला कलक्टर